

**न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)**

व्यवहार वाद क्र.87 ए/2015

संस्थापित दिनांक 16/05/2014

- 1 श्रीमती भूरी देवी पत्नि जगदीश प्रसाद शर्मा आयु 62 वर्ष जाति ब्राह्मण
निवासी वार्ड नं02 गंजबाजार तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... वादी

बनाम

1. सतेन्द्र सिंह पुत्र बलवंत सिंह आयु 25 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम—
एन्हो परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र. हाल निवासी वार्ड क्र02 भोलन्जी
मंदिर वाली गली भोइयन मौहल्ला गंजबाजार गोहद जिला भिण्ड म.प्र.
2. किरनदेवी पत्नि स्व0 सुभाषचन्द्र शर्मा आयु 38 वर्ष जाति ब्राह्मण
निवासी वार्ड क्र0 2 गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... प्रतिवादीगण

(वादी द्वारा अधि. श्री शिवनाथ शर्मा)

(प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा अधि0 श्री आर पी एस गुर्जर)

(प्रतिवादी क्र0 2 द्वारा अधि0 श्री सुनील कुशवाह)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 19.05.2017 को घोषित)

वादिया द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वार्ड क्र02 बाहिरपुरा भोइयन मौहल्ला गोहद में स्थित वादग्रस्त मकान के 1/2 भाग जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है की स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आधिपत्य वापिसी एवं विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को शून्य घोषित कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि वादिया भूरीदेवी ने अपने पुत्र सुभाष शर्मा एवं अखिलेश शर्मा के नाम से सन 1994 में रामगोपाल से वार्ड क्र02 ग्राम बिरखडी में भोइयन मोहल्ला गोहद में फर्द जगह खरीदी थी जिस पर वादिया ने निर्माण कराकर मकान बनाया था तभी से वादिया अपने दोनों पुत्रों के साथ इसी मकान में रहने लगी थी। उक्त मकान के 1/2 भाग के स्वामी सुभाष शर्मा एवं 1/2 भाग के स्वामी अखिलेश शर्मा हुए थे। प्रकरण में सुभाष शर्मा के 1/2 भाग के मकान का विवाद है। वादग्रस्त मकान का मानचित्र वादपत्र के साथ संलग्न है जिसे लाल रेखाओं से अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है जो कि प्रकरण में विवादित है। प्रतिवादी क्र02 वादिया के बड़े पुत्र सुभाष शर्मा की पत्नि है सन् 1995 में सुभाष शर्मा की वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। विवादित मकान के पश्चिम दिशा में आधे भाग में वादिया एवं प्रतिवादी क्र02 निवास करती थी तथा पूर्व की दिशा की तरफ शेष आधे भाग में अखिलेश शर्मा निवास करता था। विवादग्रस्त भवन का नगरपालिका गोहद में भवन क्र0107 है। वादिया के पुत्र अखिलेश ने अपने भाग के मकान को सन् 2009 में प्रतिवादी क्र01 को विक्रय कर दिया था एवं विवादित भवन के पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादी क्र01 रहने लगा था तथा शेष भाग में वादिया एवं प्रतिवादी क्र02 रहने लगे थे। दिनांक 25.12.13 को प्रतिवादी क्र01 ने वादिया से कहा था कि उसने प्रतिवादी क्र02 से विवादित मकान का विक्रय पत्र करा लिया

है। अतः मकान खाली कर दो। वादिया ने जानकारी ली थी तो पता चला था कि दिनांक 11.12.13 को प्रतिवादी क्र02 ने विवादित मकान का विक्रय पत्र अवैधानिक रूप से प्रतिवादी क्र01 के हक में निष्पादित कर दिया था। प्रतिवादी क्र02 ने अवैधानिक तरीके से वादिया के भाग का विक्रय पत्र बिना प्रतिफल लिए बिना कब्जा दिए प्रतिवादी क्र01 को संपादित कर दिया था जिसका प्रतिवादी क्र02 को कोई अधिकार नहीं है। वादिया के पुत्र सुभाष शर्मा की मृत्यु सन् 1995 में हो गई थी एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम अनुसूची के अनुसार सुभाष शर्मा की मृत्यु के पश्चात विवादित मकान की मालिक वादिया एवं प्रतिवादी क्र02 हुई थी तभी से वादिया विवादित मकान पर मालिक की हैसियत से काबिज होकर आधिपत्यधारी है। वादिया विवादित भवन के 1/2 भाग की स्वत्व व आधिपत्यधारी है। दिनांक 27.02.14 को वादिया अपने मायके गई थी जब वह मायके से लौटकर आई थी तो प्रतिवादी क्र01 ने वादिया को मकान के अंदर घुसने नहीं दिया था एवं विवादित भवन में वादिया के भाग पर जबरन कब्जा कर लिया था। प्रतिवादी क्र02 को विवादित भवन में वादिया के भाग का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी क्र03 ने वादिया के भाग पर जबरन कब्जा कर लिया है जिसे वादिया प्रतिवादी क्र01 से प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादिया का निवेदन है कि उसे वादग्रस्त भवन के 1/2 भाग का स्वत्व व आधिपत्यधारी घोषित किया जावे विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को वादिया के भाग तक प्रभावहीन घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी क्र01 के विरुद्ध यह स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह अवैधानिक विक्रयपत्र के आधार पर विवादित मकान में तोड़-फोड़ न करे।

3. प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा वादपत्र का खंडन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त जगह वादिया के पुत्र सुभाष शर्मा एवं अखिलेश ने स्वयं खरीदी थी जिसमें उन्होंने मकान का निर्माण कराया था जिस पर वह लोग दिनांक 14.01.1994 से निवास कर रहे हैं। वादिया के पुत्र अखिलेश ने वादग्रस्त भवन में अपने हिस्से का वर्ष 2009 में उसे विक्रय पत्र कर दिया था एवं शेष आधे भाग का विक्रय स्व0 सुभाष शर्मा की पत्नि किरनदेवी ने दिनांक 11.12.13 को कर दिया था तभी से प्रतिवादी क्र01 वादग्रस्त भवन पर काबिज है। सुभाष शर्मा की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भवन पर उसकी पत्नि किरनदेवी का हक था एवं किरनदेवी ने विधिवत् प्रतिफल लेकर उसे वादग्रस्त भवन विक्रय किया था तथा विधिवत् कब्जा दिया था तभी से प्रतिवादी क्र01 परिवार सहित वादग्रस्त भवन में निवासरत हैं। वादिया द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जावे।

4. प्रतिवादी क्र. 2 द्वारा वादपत्र का खंडन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादिया द्वारा असत्य आधारों पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। वादिया अपने पुत्र अखिलेश के साथ वादग्रस्त भवन के पूर्वी भाग में निवासरत थी एवं अखिलेश के वादग्रस्त भवन के पूर्व दिशा वाले भाग को विक्रय कर देने के पश्चात वादिया अखिलेश के साथ वादग्रस्त भवन से पृथक् निवास करने लगी थी। वादिया ने कभी भी स्व0 सुभाष शर्मा एवं प्रतिवादी क्र02 के साथ निवास नहीं किया है। प्रतिवादी क्र02 ने वर्ष 2003 में चिनौर निवासी पुरुषोत्तम शर्मा से विवाह कर लिया था तथा वह अपने पति पुरुषोत्तम के साथ वर्ष 2003 से चीनौर ग्वालियर में निवास करने लगी थी। वादिया के पुत्र अखिलेश ने वादग्रस्त भवन से लगी अपने हिस्से की संपत्ति पूर्व में प्रतिवादी क्र01 को विक्रय की थी इसी कारण वादिया व अखिलेश के कहने पर प्रति0 क्र02 ने सुभाष के हिस्से की वादग्रस्त संपत्ति का विधिवत् रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी क्र01 के हक में संपादित कर दिया था तथा प्रतिफल राशि के रूप में 80000/- रुपये प्रतिवादी क्र02 ने प्राप्त कर लिए थे। वादग्रस्त भवन का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कराने में वादिया की पूर्ण सहमति रही है। संपत्ति की बढ़ती हुई कीमतों को देखकर वादिया के मन में बदयांती आ गई है तथा ब्लैकमेल करने के आशय से वादिया द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती है।

5. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं।

वाद प्रश्ननिष्कर्ष

1. क्या वादिया वार्ड क्र02 बाहिरपुरा भोंइंयन मोहल्ला गोहद में स्थित वादग्रस्त मकान के 1/2 भाग जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है कि एक मात्र स्वत्व व आधिपत्यधारी है?
2. क्या विक्रयपत्र दिनांक 11.12.13 वादिया के स्वत्वों के मुकाबले शून्य घोषित किये जाने योग्य है?
3. क्या प्रतिवादी क्र01 द्वारा वादग्रस्त भवन पर अवैध आधिपत्य किया गया है?
4. क्या वादिया वादग्रस्त भवन का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क्र01 से वापिस पाने की अधिकारी है?
5. क्या वादिया द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायाशुल्क अदा किया गया है?
6. क्या नगरपालिका गोहद को पक्षकार न बनाने से प्रकरण में असंयोजन का दोष है?
7. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारणवाद प्रश्न कर्मांक-1

6. उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी भूरीदेवी वा0सा01 ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि उसने अपने दोनों पुत्र सुभाष शर्मा एवं अखिलेश शर्मा के नाम एक जगह क्रय की थी जिस पर उसने मकान का निर्माण करवाया था। उक्त वादग्रस्त मकान के उसके दोनों पुत्र 1/2-1/2 भाग के मालिक थे। उसके पुत्र सुभाष शर्मा की वर्ष 1995 में वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी एवं विवादित मकान के पश्चिम दिशा के 1/2 भाग में वादिया एवं प्रतिवादी क्र02 रहने लगी थी तथा शेष आधे मकान में पूर्व दिशा की तरफ उसका छोटा पुत्र अखिलेश रहने लगा था अखिलेश ने अपने आधे भाग को वर्ष 2009 में प्रतिवादी क्र01 को विक्रय कर दिया था तभी से आधे मकान में प्रतिवादी क्र01 रहने लगा था शेष आधे मकान में पश्चिम दिशा की तरफ वादिया एवं प्रतिवादी क्र02 रहने लगे थे। दो वर्ष पहले प्रतिवादी क्र01 ने उससे विवादित मकान खाली करने के लिए कहा था तब वादिया के पति ने रजिस्ट्रार कार्यालय गोहद से जानकारी ली थी एवं विक्रय पत्र की नकल प्राप्त की थी तब उसे जानकारी हुई थी कि प्रतिवादी क्र02 ने अवैधानिक रूप से वादग्रस्त मकान में वादिया के भाग का विक्रय प्रतिवादी क्र01 को कर दिया था एवं वादिया के भाग का बिना प्रतिफल लिए बिना कब्जा दिए विक्रयपत्र संपादित कर दिया था। प्रतिवादी क्र01 ने गलत रूप से अधिकार विहीन विक्रय पत्र आधे भाग का करा लिया है। प्रतिवादी को संपूर्ण विवादित मकान के विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। दो वर्ष पूर्व महाशिवरात्रि के दिन वादिया अपने मायके गई थी दूसरे दिन वह लौटकर आई थी तो प्रतिवादी क्र01 ने मकान के अंदर नहीं घुसने दिया था एवं मकान के आधे भाग पर जबरन कब्जा कर लिया था तभी से वादिया मकान से बेदखल होकर अन्यत्र जगह पर रह रही है। विवादित मकान पर प्रतिवादी क्र01 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है क्योंकि प्रतिवादी क्र02 को संपूर्ण वादग्रस्त मकान बेचने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रतिवादी क्र01 ने वादग्रस्त मकान पर जबरन कब्जा कर लिया है। वादी भूरी बाई वा0सा01 ने अपने अभिवचनों के समर्थन में विक्रय पत्र दिनांक 14.01.94 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी01 एवं विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी02 प्रकरण में पेश की है।

7. प्रतिपरीक्षण के पद क्र08 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि वर्तमान में वादग्रस्त पूरे मकान में सतेन्द्र रह रहा है जब वह मायके गई थी तब उसने उसे घर से निकाल दिया था और उसके मकान का ताला तोड़ दिया था। पद क्र013 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त मकान उसने नहीं खरीदा था उसके पति ने खरीदा था।

8. वादीसाक्षी गंगाधर शर्मा वा0सा02 ने भी वादी भूरी देवी वा0सा01 के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।

9. प्रतिवादी सत्येन्द्र सिंह प्र0सा01 ने वादी के अभिवचनों का खंडन करते हुए व्यक्त किया है कि वादग्रस्त मकान अखिलेश एवं मृतक सुभाष ने स्वयं खरीदा था तथा उस पर निर्माण किया था अखिलेश ने अपना हिस्सा उसे दिनांक 14.03.94 को विक्रय कर दिया था और उसे कब्जा दे दिया था तभी से वह वहां निवास कर रहा है मृतक सुभाष की पत्नि किरन देवी ने उसे अपना हिस्सा दिनांक 11.12.13 को विक्रय किया था और उसे मौके पर कब्जा दे दिया था तभी से वह वादग्रस्त मकान में निवास कर रहा है। उसने वादग्रस्त मकान में जबरन कब्जा नहीं किया है उसका विक्रय दिनांक से ही वादग्रस्त मकान पर कब्जा है। प्रतिवादी किरन ने अपने हिस्से का मकान उसे स्वेच्छया विक्रय किया था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र03 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सुभाष की मृत्यु के एक साल बाद ही सुभाष की पत्नि किरनदेवी ने ग्राम चिनौर में दूसरी शादी कर ली थी।

10. प्रतिवादी किरन देवी प्र0सा02 ने यह अभिवचनित किया है कि उसके पहले पति सुभाष शर्मा की वर्ष 1995 में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वादिया ने वादग्रस्त मकान अपने पुत्र सुभाष शर्मा एवं अखिलेश के नाम से क्रय नहीं किया है। वर्ष 1995 में उसके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात वह अपने मायके चली गई थी तथा वर्ष 2003 में उसका विवाह पुरुषोत्तम शर्मा के साथ हो गया था तभी से वह पुरुषोत्तम शर्मा के साथ चिनौर में निवास करती है चूंकि वादग्रस्त भवन से लगी हुई संपत्ति वादिया के पुत्र अखिलेश ने प्रतिवादी क्र01 को विक्रय कर दी थी इस कारण उसने वादिया व अखिलेश के कहने पर वादग्रस्त मकान प्रतिवादी क्र01 को विक्रय कर दिया था जिसमें वादिया की पूर्ण सहमति रही थी। वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय पत्र उससे वादिया ने ही प्रतिवादी क्र01 के हक में संपादित कराया था। प्रतिपरीक्षण के पदक्र07 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने प्रतिवादी क्र01 के हक में कोई विक्रय पत्र नहीं किया है प्र0पी02 का विक्रय पत्र गलत है पद क्र09 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि सत्येन्द्र ने उसके नाम से विवादित मकान का अपने हक में बैनामाकरा लिया है एवं भूरी देवी को मकान से निकाल दिया

11. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादिया मृतक सुभाष शर्मा की मां होकर वादग्रस्त भवन के 1/2 भाग की स्वत्वधारी है जब कि प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि वादिया का वादग्रस्त भवन से कोई संबंध नहीं है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में वादिया भूरी देवी वा0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह वादग्रस्त भवन जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है की आधे भाग की स्वत्वधारी है एवं प्रतिवादी क्र02 को वादग्रस्त मकान में उसके हिस्से को बेचने का कोई अधिकार नहीं था जबकि प्रतिवादी क्र01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भवन में वादिया का कोई हक नहीं है। वादिया भूरीदेवी वा0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसने वादग्रस्त भवन अपने दोनों पुत्र अखिलेश शर्मा एवं मृतक सुभाष शर्मा के नाम पर क्रय किया है। यद्यपि प्रतिवादी किरन देवी प्र0सा02 द्वारा उक्त तथ्य से इंकार किया गया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि वादिया द्वारा यह वाद मृतक सुभाष शर्मा की वारिस होकर वादग्रस्त भवन में 1/2 भाग की स्वत्वघोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है। यदि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि वादग्रस्त भवन अखिलेश शर्मा एवं मृतक सुभाष शर्मा की स्वअर्जित संपत्ति थी तो भी इससे वाद पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

13. प्रकरण में यह निविवादित है कि वादिया मृतक सुभाष शर्मा की मां है एवं प्रतिवादी क्र02 मृतक सुभाष शर्मा की पत्नि थी एवं यह भी निविवादित है कि सुभाष शर्मा की मृत्यु वर्ष 1995 में हो चुकी है। वादिया द्वारा प्रकरण में जो प्र0पी01 का विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है उससे यह दर्शित है कि वादग्रस्त भवन दिनांक 14.01.94 वादिया के पुत्र मृतक सुभाष शर्मा एवं अखिलेश ने विक्रेता रामगोपाल से क्रय किया था एवं उक्त मकान के 1/2 भाग का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी वादिया का पुत्र मृतक सुभाष शर्मा था। वादिया द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वह मृतक सुभाष शर्मा की मां है ऐसी स्थिति में सुभाष शर्मा

की मृत्यु उपरांत सुभाष शर्मा के हिस्से के वादग्रस्त मकान में प्रतिवादी किरनदेवी के साथ उसका भी हक था। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादिया भूरीदेवी प्रतिवादी क02 किरन देवी के पति स्व0 सुभाष शर्मा की मां है एवं प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि विवादित भवन प्रतिवादी क02 किरन देवी को उसके पति सुभाष शर्मा की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी भूरीदेवी स्व0 सुभाष शर्मा की मां है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में मृत व्यक्ति की विधवा एवं माता वर्ग -1 की वारिस है इस अनुसार उत्तराधिकार के सामान्य नियम के अनुसार वादिया भूरीदेवी भी प्रतिवादी क02 के साथ विवादित भवन की 1/2 भाग की सहस्वामी थी एवं प्रतिवादी क02 किरनदेवी को विवादित भवन में वादिया के 1/2 भाग को विक्रय करने का अधिकार नहीं था।

14. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी किरनदेवी ने वर्ष 2003 में पुरुषोत्तम शर्मा से दूसरा विवाह कर लिया है इस कारण वादग्रस्त भवन में प्रतिवादी किरनदेवी का कोई स्वत्व नहीं बचा था परंतु वादी अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। वादिया के पुत्र सुभाष शर्मा की मृत्यु वर्ष 1995 में हुई थी एवं जिस समय सुभाष शर्मा की मृत्यु हुई थी। प्रतिवादी किरनदेवी सुभाष शर्मा की विवाहिता पत्नि थी एवं वह मृतक सुभाष शर्मा की विधवा होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार मृतक सुभाष शर्मा के हिस्से के वादग्रस्त भवन के 1/2 भाग की उत्तराधिकारी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार "हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी संपत्ति चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी"।

15. इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं 14 के अनुसार किसी हिन्दू पुरुष के मृत होने पर उसकी विधवा अनुसूची के वर्ग-1 की वारिस होकर मृतक की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है एवं उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसार हिन्दू स्त्री को विरासत द्वारा वसीयत द्वारा विभाजन द्वारा जो भी संपत्ति प्राप्त होती है वह उसकी पूर्ण स्वामिनी होती है एवं वह संपत्ति हिन्दू नारी से कभी भी वापिस नहीं ली जा सकती है।

16. प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि वादिया के पुत्र सुभाष शर्मा की मृत्यु वर्ष 1995 में हुई थी एवं प्रतिवादी किरनदेवी द्वारा वर्ष 2003 में पुरुषोत्तम शर्मा से पुनर्विवाह किया गया था। वर्ष 1995 में जब सुभाष शर्मा की मृत्यु हुई थी तब प्रतिवादी क02 किरनदेवी सुभाष शर्मा की विवाहिता पत्नि थी ऐसी स्थिति में वह सुभाष शर्मा की मृत्यु उपरांत उसकी विधवा के रूप में मृतक सुभाष शर्मा की संपत्ति की 1/2 भाग की उत्तराधिकारी थी एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार वह वादग्रस्त मकान के 1/2 भाग की पूर्ण स्वामिनी थी। इसलिए किरनदेवी द्वारा पुनर्विवाह कर लेने के पश्चात् भी किरनदेवी को उक्त संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

17. इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि विवादित भवन मृतक सुभाष शर्मा के स्वामित्व का था एवं विवादित भवन प्रतिवादी क02 किरन देवी को स्व0 सुभाष शर्मा की मृत्यु उपरांत उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की प्रथम अनुसूची के अनुसार वादिया भूरीदेवी भी प्रतिवादी क02 किरनदेवी के साथ स्व0 सुभाष शर्मा की वर्ग-1 की वारिस थी तथा वादग्रस्त भवन के 1/2 भाग की स्वामी थी एवं प्रतिवादी क02 किरनदेवी को विवादित भवन में वादिया के 1/2 भाग को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है तो वादिया भूरी देवी वा0सा01 द्वारा स्वयं यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क01 सतेन्द्र सिंह ने उसे जबरन घर से निकाल दिया था वादिया द्वारा आधिपत्य वापिसी की सहायता भी चाही गई है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भवन में वादिया का आधिपत्य होना दर्शित नहीं है।

18. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से यह प्रमाणित है कि वादिया वार्ड क02 ग्राम बिरखडी में स्थित वादग्रस्त मकान के 1/2 भाग जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में जिसे लाल रेखाओं से चिन्हित किया गया है की स्वत्वधारी है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादिया के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-2

19. उक्त वादप्रश्न का निष्कर्ष वादप्रश्नक01 के निष्कर्ष पर आधारित है। वाद प्रश्नक01 के निष्कर्ष अनुसार यह प्रमाणित है कि वादिया प्रतिवादी क02 किरनदेवी के साथ मृतक सुभाष शर्मा की वारिस होकर वादग्रस्त भवन के 1/2 भाग की स्वामिनी है तथा प्रतिवादी क02 किरनदेवी को वादिया के हिस्से के 1/2 भाग को बेचने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादिया द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी02 का विक्रय पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया है जिससे यह दर्शित है कि प्रतिवादी क0 किरनदेवी ने वादग्रस्त भवन के पश्चिम दिशा का संपूर्ण भाग प्रतिवादी क01 सतेन्द्र सिंह को विक्रय किया है जब कि उत्तराधिकार के सामान्य नियम के अनुसार वादग्रस्त भवन के पश्चिम दिशा के भाग के 1/2 भाग की स्वामी प्रतिवादी किरनदेवी एवं 1/2 भाग की स्वामी वादिया भूरीदेवी है। यद्यपि प्रतिवादी किरनदेवी प्र0सा02 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि उसने प्रतिवादी सतेन्द्र के हक में प्र0पी02 का विक्रय पत्र नहीं किया था परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी किरनदेवी प्र0सा02 ने अपने शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि उसने वादिया व अखिलेश की सहमति से वादग्रस्त भवन प्रतिवादी क01 को विक्रय किया था। इस प्रकार प्रतिवादी किरनदेवी प्र0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि प्रतिवादी किरनदेवी प्र0सा02 द्वारा उक्त बिंदु पर अपने परीक्षण के दौरान भिन्न-भिन्न कथन दिए गए हैं ऐसी स्थिति में यही प्रकट होता है कि प्रतिवादी किरनदेवी प्र0सा02 द्वारा न्यायालय में सत्य बात नहीं बताई गई है।

20. प्रतिवादी किरनदेवी प्र0सा2 ने अपने शपथ पत्रीय मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि उसने वादिया की सहमति से प्रतिवादी क01 के हक में प्र0पी01 का विक्रय पत्र निष्पादित किया था परंतु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज सहमति पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादिया द्वारा अपने हिस्से के 1/2 भाग को विक्रय करने के लिए प्रतिवादी किरनदेवी को सहमति दी गई थी। अतः प्रतिवादी किरनदेवी प्र0सा02 का यह अभिवचन कि उसने वादिया की सहमति से प्र0पी01 का विक्रय पत्र निष्पादित किया था, सत्य नहीं है।

21. वादप्रश्न क01 के निष्कर्ष अनुसार यह प्रमाणित है कि वादिया वादग्रस्त भवन के 1/2 भाग की स्वामिनी है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क02 किरनदेवी को वादी के हिस्से के 1/2 भाग को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 प्र0पी02 वादिया के हिस्से के 1/2 भाग तक शून्य घोषित किए जाने योग्य है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादिया के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-3 एवं 4

22. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्न क0 1 एवं 2 के निष्कर्ष पर आधारित है। वादप्रश्न क0 1 एवं 2 के निष्कर्ष अनुसार यह प्रमाणित है कि वादिया वादग्रस्त भवन के 1/2 भाग की स्वामी है एवं यह भी प्रमाणित है कि प्र0पी0 2 विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 वादिया के हिस्से के 1/2 भाग तक शून्य घोषित किए जाने योग्य है। प्रतिवादी सतेन्द्र प्र0सा01 ने यह अभिवचनित किया है कि वह वादग्रस्त मकान पर काबिज है। ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादी क01 द्वारा वादग्रस्त भवन में वादिया के हिस्से के 1/2 भाग पर अवैध आधिपत्य किया गया है अतः वादिया वादग्रस्त भवन का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी क01 से वापिस पाने की अधिकारी है। फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादिया के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-5

23. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादिया ने प्रकरण में विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को शून्य घोषित कराने की सहायता चाही है अतः वादिया को विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 में दर्शित राशि का वाद का मूल्यांकन करना चाहिए था एवं तदानुसार न्यायशुल्क अदा करना चाहिए था वादिया द्वारा वादग्रस्त भवन के आधिपत्य वापिसी की सहायता चाही गई है वादग्रस्त भवन

का बाजार मूल्य करीबन पांच लाख रुपये है। वादिया को वादग्रस्त भवन के बाजार मूल्य के आधार पर वाद का मूल्यांकन करना चाहिए था। वादिया द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है एवं कम न्यायशुल्क अदा किया गया है। अतः प्रस्तुत वाद संचालन योग्य नहीं है जबकि वादिया द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उसके द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में वादिया द्वारा वादग्रस्त भवन के 1/2 भाग की स्वत्व घोषणा, आधिपत्य वापिसी एवं विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को शून्य घोषित कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा यह आपत्ति प्रकट की गई है कि वादिया ने विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 में दर्शित राशि के आधार पर वाद का मूल्यांकन नहीं किया है परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि वादिया प्र0पी02 के विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 में पक्षकार नहीं है। अतः वादिया को प्र0पी02 के विक्रय पत्र के अनुसार वाद का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी द्वारा यह भी अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त मकान की कीमत लगभग 5 लाख रुपये है परंतु उक्त संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त मकान की बाजार कीमत 5 लाख रुपये है। अतः प्रतिवादीगण का यह अभिवचन कि वादग्रस्त मकान का बाजार मूल्य 5 लाख रुपये है, सत्य प्रतीत नहीं होता है।

25. वादिया द्वारा वादग्रस्त भवन की स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, आधिपत्य वापिसी एवं विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को शून्य घोषित कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादिया द्वारा वाद का मूल्यांकन 21000/- कर तदानुसार उस पर स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, एवं कब्जा वापिसी हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादिया द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वाद प्रश्न वादिया के पक्ष में प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-6

26. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त मकान नगरपालिका गोहद की सीमा में स्थित है एवं वादिया द्वारा नगरपालिका को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः प्रकरण में असंयोजन का दोष है परंतु प्रतिवादीगण का यह अभिवचन उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में वादिया द्वारा प्रतिवादी क्र01 एवं 2 के विरुद्ध वादग्रस्त मकान के 1/2 भाग की स्वत्वघोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, आधिपत्य वापिसी एवं विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 को शून्य घोषित कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है वादिया द्वारा नगरपालिका गोहद से कोई सहायता नहीं चाही है। ऐसी स्थिति में नगरपालिका गोहद प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है एवं नगरपालिका गोहद को पक्षकार न बनाने से प्रकरण में असंयोजन का दोष नहीं है। फलतः उक्त वादप्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया है।

सहायता एवं व्यय

27. समग्र अवलोकन से वादिया अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रही है। फलतः प्रस्तुत वाद वादिया के पक्ष में निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:-

1. यह घोषित किया जाता है कि वादिया वार्ड क्र02 बाहिरपुरा भोइयन मोहल्ला गोहद में स्थित वादग्रस्त मकान के 1/2 भाग जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में लाल रेखाओं से दर्शित किया गया है की एक मात्र स्वत्वधारी है।

2. यह भी घोषित किया जाता है कि विक्रय पत्र दिनांक 11.12.13 वादिया के 1/2 भाग की सीमा तक शून्य एवं प्रभावहीन है।

3. प्रतिवादी क्र01 को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त मकान में वादिया के हिस्से के 1/2 भाग का रिक्त आधिपत्य वादिया को वापिस प्रदान करे।

4. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादिया एवं प्रतिवादीगण द्वारा समान रूप से बहन किया जावेगा।

5. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक –19/05/17

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)